[illegible] पार्टी के अधिवक्ता ने पत्रावली T.S. फा.नि. 27/20
[illegible] 9.5.22 को पेश की जिसे आदेश अनुसोड़ v/s ग्रा.पं. [illegible]
बकुलाड़ [illegible] वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र
18.4.22 प्रस्तुत कर प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 3 के मध्य
रामीनामा होने से इस प्रकरण को नहीं चलाने
व पारित विड्रावल स्वादिष्ट करवाने का निवेदन
किया है जिस पर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार
कर प्रार्थी की निगरानी पारित विड्रावल
स्वादिष्ट की जाती है पत्रावली केवल शुमार हो
बंद से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

अपर कलक्टर, नागौर